R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14

मासिक शुल्क : ₹ 1 मात्र

खण्ड X ◆ अंक 1
जुलाई 2013

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

नीति

प्रारक्षित नकदी आवश्यकता में परिवर्तन

बैंकों द्वारा अनुरक्षित किया जाने वाला अपेक्षित न्यूनतम दैनिक प्रारक्षित नकदी अनुपात (सीआरआर) बकाया 27 जुलाई 2013 से शुरू होने वाले पखवाड़े से उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 70 प्रतिशत से बढ़ाकर 99 प्रतिशत कर दिया गया है।

चलनिधि समायोजन सुविधा

विदेशी मुद्रा बाजार में अस्थिरता पर नियंत्रण रखने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 23 जुलाई 2013 को घोषित उपायों के भाग के रूप में चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत बैंक के पास उपलब्ध निधियों की कुल मात्रा अलग-अलग बैंक की निवल मांग और मीयादी देयताओं के 0.5 प्रतिशत पर निर्धारित की गई है। चलनिधि समायोजन सुविधा में यह परिवर्तन 24 जुलाई 2013 से लागू होगा। अलग-अलग बैंकों की सीमा के निर्धारण के प्रयोजन के लिए निवल मांग और मीयादी देयताएं उतनी ही होंगी जितनी कि रिपोर्ट किए जाने वाले पखवाड़े के दौरान सीआरआर के अनुरक्षण के प्रयोजन के लिए मानी जा रही हैं। तदनुसार, चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रु. 75000 करोड़ पर निधियों के कुल आवंटन की सीमा के संबंध में 16 जुलाई 2013 को जारी रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुदेशों को वापस लिया गया है।

सांविधिक चलनिधि-सीमांत स्थायी सुविधा का अनुरक्षण

सीमांत स्थायी सुविधा के अंतर्गत वर्तमान में बैंक अपनी सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) धारिताओं की अधिकता के बदले में 1 दिन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से निधियां उधार लेते हैं। इसके अतिरिक्त, वे दूसरे पूर्ववर्ती पखवाड़े की समाप्ति पर अपनी संबंधित निवल मांग और मीयादी देयताओं के दो प्रतिशत तक निर्धारित एसएलआर से कम निधियां भी एक दिवसीय आधार पर उधार ले सकते हैं।

17 जुलाई 2013 को घोषित भारतीय रिज़र्व बैंक की विशेष रिपो सुविधा के अंतर्गत म्यूच्युअल फंडों की चलनिधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकों को समर्थ बनाने की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया है कि एमएसएफ के अंतर्गत निर्धारित एसएलआर अपेक्षा से कम उधार लेने की सीमा को निवल मांग और मीयादी देयताओं के 2 प्रतिशत से बढ़ाकर निवल मांग और मीयादी देयताओं का 2.5 प्रतिशत कर दिया जाए। निवल मांग और मीयादी देयताओं के 0.5 प्रतिशत की उच्चतर एमएसएफ सीमा केवल विशेष रिपो सुविधा के लिए उपलब्ध रहेगी। यह अतिरिक्त सीमा अगली सूचना तक अस्थायी अवधि के लिए उपलब्ध होगी।

आगे के उधार के लिए सुक्ष्म वित्त संस्थानों को बैंक ऋण

आगे के उधार के लिए सुक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) को दिया जाने वाला बैंक ऋण अब वरीयता क्षेत्र अग्रिम के रूप में श्रेणीबद्ध होने का पात्र होगा, यदि आय सृजन कार्यकलाप के लिए दिए गए ऋण की कुल राशि सुक्ष्म वित्त संस्थानों द्वारा दिए गए कुल ऋण के 70 प्रतिशत से कम हो।

पहले आगे के उधार के लिए एमएफआई को दिया जाने वाला बैंक ऋण वरीयता क्षेत्र अग्रिम के रूप में पात्र था यदि यह आय सृजन कार्यकलाप के लिए दिए गए ऋण की कुल राशि एमएफआई द्वारा दिए गए कुल ऋण के 75 प्रतिशत से कम नहीं हो।

सीमांत स्थायी सुविधा दरें

विनिमय दर अस्थिरता का समाधान करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित उपायों के भाग के रूप में सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर को चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीति रिपो दर से 300 आधार बिन्दु ऊपर पुनःसमायोजित किया गया है। परिणामस्वरूप सीमांत सुविधा दर 16 जुलाई 2013 से 10.25 प्रतिशत है।

विषय सूची

	पृष्ठ
नीति	
प्रारक्षित नकदी अनुरक्षण आवश्यकता में परिवर्तन	1
चलनिधि समायोजन सुविधा	1
सांविधिक चलनिधि-सीमांत स्थायी सुविधा का अनुरक्षण	1
आगे के उधार के लिए सुक्ष्म वित्त संस्थानों को बैंक ऋण	1
सीमांत स्थायी सुविधा दरें	1
बैंक दर	2
अवांछित वाणिज्यिक संवाद	2
शाखा बैंकिंग	
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना	2
केवाईसी के आवधिक अद्यतन मानदंडों को सरल बनाया गया	2
फेमा	
नामांकित बैंकों/एजेंसियों/संस्थाओं द्वारा स्वर्ण आयात	2
बाह्य वाणिज्यिक उधार	3
ईसीबी का लाभ उठाने के लिए अनुमति प्राप्त गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - आस्ति वित्त कंपनियां	3
भुगतान प्रणाली	
सीटीएस-2010 मानकों को अपनाना	3
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी	
अतिदेय सार्वजनिक जमाराशियों पर ब्याज का भुगतान	4
ग्राहक सेवा	
मूल बचत बैंक जमा खाता	4

बैंक दर

15 जुलाई 2013 से बैंक दर 8. 25 प्रतिशत से 200 आधार अंक बढ़ाकर कर 10.25 प्रतिशत कर दी गई है।

प्रारक्षित निधियों की अपेक्षा में कमी होने पर लागू होने वाली सभी प्रकार की दंडात्मक ब्याज दरें भी, जो विनिर्दिष्ट रूप से बैंक दर से जुड़ी हुई हैं, नीचे दर्शाए गए अनुसार संशोधित हो गई हैं

बैंक दर से जुड़ी हुई दंडात्मक ब्याज दरें

मद	मौजूदा दर	संशोधित दर (दिनांक 15 जुलाई 2013 से लागू)
प्रारक्षित निधियों की अपेक्षा में कमी होने पर लागू होने वाली दंडात्मक ब्याज दरें (कमी की अवधि पर आधारित)।	बैंक दर तथा 3.0 प्रतिशत अंक (11.25 प्रतिशत) अथवा बैंक दर तथा 5.0 प्रतिशत अंक (13.25 प्रतिशत)।	बैंक दर तथा 3.0 प्रतिशत अंक (13.25 प्रतिशत) अथवा बैंक दर तथा 5.0 प्रतिशत अंक (15.25 प्रतिशत)।

अवांछित वाणिज्यिक संवाद

रिज़र्व बैंक ने बार-बार कहा है कि बैंक अपने प्रोत्साहन/टेलीमार्केटिंग कार्यों हेतु केवल ऐसे प्रत्यक्ष विपणन एजेंट (डीएमए)/प्रत्यक्ष बिक्री एजेंट (डीएसए) नियुक्त करें जो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार टेलीमार्केटर के रूप में पंजीकृत हैं।

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी 'टेलीकाम वाणिज्यिक दूरसंचार ग्राहक अधिमान नियमावली, 2010' के अनुसार वाणिज्यिक सूचनाएं प्रेषित करने से जुड़े किसी भी व्यक्ति को ट्राई के साथ टेलीमार्केटर के रूप में पंजीकृत होना होगा। तथापि, रिज़र्व बैंक के ध्यान में यह लाया गया है कि अनेक बैंक, वित्तीय संस्थान एवं उनके फ्रेंचाइज़ी भी अपनी सेवाओं के विपणन के लिए ऐसे टेलीमार्केटर्स की सेवाएं ले रहे हैं जो ट्राई के साथ पंजीकृत नहीं हैं और ये अपंजीकृत टेलीमार्केटर्स राष्ट्रीय ग्राहक अधिमान पंजिका में पंजीकृत ग्राहकों को फोन करने के लिए अपने सामान्य टेलीफोन कनेक्शनों का प्रयोग करते हैं। इसके कारण ढेर सारी ग्राहक शिकायतें आ रही हैं।

शाखा बैंकिंग

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना

एलपीजी सब्सिडी सहित सरकारी प्रतिलाभों के आधार संख्या आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) को सुचारू रूप से शुरू करने की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से सभी राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) आयोजक बैंकों और अग्रणी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे:

- सभी डीबीटी जिलों में खाते खोलने और आधार संख्या को जोड़ लेने का कार्य पूरा करने के लिए कदम उठाएं।
- लाभार्थियों के बैंक खातों में आधार संख्या जोड़ने में होने वाली प्रगति की बारिकी से निगरानी करें।
- आधार संख्या को जोड़ने के अनुरोध के संबंध में लाभार्थी को प्राप्ति-सूचना देने एवं आधार संख्या जोड़ दिए जाने की पुष्टि भेजने की भी एक प्रणाली स्थापित करें।
- संबंधित राज्य सरकारी विभाग के साथ-साथ जिला स्तर पर डीबीटी कार्यान्वयन समेकन समिति बना लें और बैंक खातों में आधार संख्या जोड़े जाने के कार्य की समीक्षा करें।
- यह सुनिश्चित करें कि बैंक द्वारा संबद्ध किए गए व्यवसाय प्रतिनिधियों (बीसी) के जिला और गांव वार नाम एवं अन्य ब्यौरे एसएलबीसी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए गए हैं।
- बैंक खातों में आधार संख्या जोड़ी जाने से संबंधित शिकायतों का निवारण करने के लिए प्रत्येक बैंक में शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करें और प्रत्येक जिले में एक शिकायत निवारण अधिकारी नामित करें।

हाल ही में डीबीटी योजना पर मैसूर में एक कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें अन्यों के साथ-साथ भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआई) के अध्यक्ष, चुनिंदा राज्यों के वित्त सचिव, भारतीय रिज़र्व बैंक के उच्च प्रबंध तंत्र और कर्नाटक राज्य के बैंकरों ने भाग लिया। बैंक खातों में आधार संख्या जोड़ने में हुई प्रगति की समीक्षा करते समय इस बात पर बल दिया गया कि बैंकों को बड़ी संख्या में खाते खोलने के लिए कदम उठाने चाहिए, इन खातों में आधार संख्याएं जोड़ लेनी चाहिए तथा इसे एक निरंतर चलनेवाले एवं बढ़ते कारोबारी अवसर के रूप में देखना चाहिए। उदाहरण के रूप में बैंक खाते खोलने एवं बैंक खातों में आधार संख्या जोड़ने में एलपीजी वितरकों की सेवाएं उपयोग में लाने की संभावना को भी संदर्भित किया गया था।

केवाईसी के आवधिक अद्यतन मानदंडों को सरल बनाया गया

'अपने ग्राहक को जानिए' मानदंडों के आवधिक अद्यतन पर अपने पूर्व के अनुदेशों को संशोधित करते हुए रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि -

(ए) वे प्रत्येक ग्राहक के साथ कारोबार संबंध के बारे में जारी उचित सावधानी बनाये रखें और यह सुनिश्चित करने के लिए लेनदेन की बारिकी से जांच करें कि वे ग्राहक, उसके कारोबार और जोखिम प्रोफाइल, और जहां भी आवश्यक हो, निधियों के स्रोत के बारे में उनकी जानकारी के अनुरूप हैं।

(बी) अधिक जोखिम वाले व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए कम से कम प्रत्येक दो वर्ष में अपने ग्राहक को जानिए मानदंडों की पूर्ण कार्रवाई की जाए।

(सी) कम जोखिम के लिए कम से कम प्रत्येक दस वर्षों और मध्यम जोखिम व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए कम से कम प्रत्येक आठ वर्षों में अपने ग्राहक को जानिए मानदंडो की पूर्ण कार्रवाई की जाए।

(डी) मध्यम जोखिम के लिए कम से कम प्रत्येक दो वर्षों और कम जोखिम वाले व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए कम से कम प्रत्येक तीन वर्षों में सकारात्मक पुष्टि (इमेल/पत्र/टेलीफोन पर चर्चा/फार्म/साक्षात्कार/दौरों आदि के माध्यम से अपने ग्राहक को जानिए मानदंडो से संबंधित अद्यतन जानकारी प्राप्त करना) का कार्य पूरा किया जाना चाहिए।

(ई) नाबालिग ग्राहकों के बालिग होने पर नए फोटो प्राप्त किए जाएं।

बैंकों को आगे सूचित किया गया कि वे इन अनुदेशों के आलोक में अपनी केवाईसी नीति में संशोधन करें और उसका सख्ती से पालन करें।

फेमा

नामांकित बैंकों/एजेंसियों/संस्थाओं द्वारा स्वर्ण आयात

भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि देश में सोने के सिक्कों/डोर के आयात सहित किसी भी रूप/शुद्धता में सोने के आयात को तर्कसंगत बनाया जाए। तदनुसार, सभी नामांकित बैंकों/नामांकित एजेंसियों को सूचित किया गया है कि -

(ए) उनके लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि सोने के आयात के प्रत्येक भाग (लॉट) का कम से कम 1/5 (सोने के सिक्कों/डोर के आयात सहित) केवल निर्यात उद्देश्य के लिए उपलब्ध रहे। ऐसे

आयात को नामांकित एजेंसियों द्वारा निर्यातकों की वित्त सहायता से जोड़ा जाएगा (अर्थात पिछले तीन वर्षों का औसत अथवा कोई भी एक वर्ष, जो भी अधिक हो)। इसके अतिरिक्त वे घरेलू उपयोग के लिए आभुषण कारोबार में लगी हुई संस्थाओं/आभुषण बनाने वालों को सोने की आपूर्ति करने वाले बुलियन विक्रेताओं के लिए किसी भी रूप में सोना उपलब्ध कराएंगे।

(बी) उन्हें आयातित मात्रा का 20 प्रतिशत सीमा शुल्क बंधक भंडारों में रखने की आवश्यकता होगी।

(सी) उन्हें सोने के नए आयात की अनुमति केवल सीमा शुल्क बंधक भंडारों में कम-से-कम 75 प्रतिशत शेष सोने का निर्यात होने के बाद दी जाएगी।

(डी) किसी भी प्रकार की योजना के अंतर्गत सोने के आयात में उपर्युक्त निर्धारित 20/80 के सिद्धांत का पालन किया जाएगा। माल प्रेषण आधार पर सोने के आयात, साख पत्र प्रतिबंधों आदि से संबंधित वर्तमान अनुदेश वापिस ले लिए गए हैं।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में संस्थाओं/ईकाइयों और निर्यातोन्मुखी ईकाइयों (ईओयू), प्रीमियर और स्टार ट्रेडिंग गृहों को केवल निर्यात के उद्देश्य के लिए सोने का आयात करने की अनुमति है।

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को सख्ती से यह सुनिश्चित करने के लिए सूचित किया गया है कि उनके संघटकों द्वारा/के लिए किए जाने वाले विदेशी मुद्रा लेनदेन में इन अनुदेशों का पालन किया जाए। नामांकित एजेंसियों/बैंकों के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग के प्रधान कार्यालय विभिन्न केंद्रों के माध्यम से किए जाने वाले लेनदेन को ध्यान में रखते हुए संधोधित योजना के परिचालन की निगरानी करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

भारत सरकार इन आयात प्रतिबंधों के परिचालन और निगरानी के लिए सीमा शुल्क प्राधिकरणों/विदेशी व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) को अलग से अनुदेश जारी करेगा, यदि कोई हो।

बाह्य वाणिज्यिक उधार

समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया है कि विनिर्माण, बुनियादी सुविधा और होटल क्षेत्र की उन भारतीय कंपनियों जिन्होंने संयुक्त उद्यम (जेवी)/संपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) स्थापित की हैं/फेमा, 1999 के अंतर्गत वर्तमान विनियमों के अनुपालन में निम्नलिखित शर्तों के अधीन विदेशों में आस्तियां अधिग्रहित की हैं, उन्हें 10 बिलियन अमरीकी डॉलर योजना का लाभ दिया जाए:

(ए) पूंजी व्यय के अलावा बाह्य वाणिज्यिक उधार संयुक्त उद्यमों/संपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों में समुद्रपारीय निवेश के लिए घरेलू बैंकों से भारतीय कंपनियों द्वारा प्राप्त 5 वर्ष और इससे अधिक की औसत अवशिष्ट परिपक्वता/ऋण सुविधाओं वाले सभी मीयादी ऋणों की चुकौती के लिए उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

(बी) इस योजना के अंदर बाह्य वाणिज्यिक उधार का लाभ पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्राप्त औसत विदेशी मुद्रा अर्जन के अधिकतम 75 प्रतिशत और/अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से पंजीकृत सांविधिक लेखा परीक्षकों/सनदी लेखाकारों/प्रमाणित लोक लेखाकारों/श्रेणी I मर्चंट बैंकर/मेजबान देश में उचित विनियामक प्राधिकरण से पंजीकृत भारत से बाहर निवेश बैंकर द्वारा विदेशों मे यथा प्रमाणित संयुक्त उद्यम/संपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों/आस्तियों से भारतीय कंपनियों की अगले तीन वित्तीय वर्षों की औसत विदेशी मुद्रा अर्जन संभावना के बारे में किए गए आकलन के 75 प्रतिशत के आधार पर उठाया जा सकता है।

(सी) इस योजना के अंतर्गत लिए गए बाह्य वाणिज्यिक उधार चुकौती समुद्रपारीय संयुक्त उद्यम/संपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों/आस्तियों के विदेशी मुद्रा अर्जन से करनी होगी।

समुद्रपारीय संयुक्त उद्यमों/संपूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों/आस्तियों से लाभांश/प्रत्यावर्तित लाभ/अन्य विदेशी अंतर्वाह जैसे रायल्टी, तकनीकी जानकारी, शुल्क आदि के रूप में पूर्व के अर्जन को 10 बिलियन अमरीकी डॉलर योजना के प्रयोजन के लिए विदेशी मुद्रा अर्जन के रूप में माना जाएगा।

ईसीबी का लाभ उठाने के लिए अनुमति प्राप्त गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - आस्ति वित्त कंपनियां

रिज़र्व बैंक द्वारा आस्ति वित्त कंपनियों के रूप में श्रेणीबद्ध और 6 दिसंबर 2006 तथा समय-समय पर संशोधित इसके परिपत्र में निर्धारित मानदण्डों का पालन करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन बाह्य वाणिज्यिक उधार का लाभ उठाने की अनुमति है:

- एनबीएफसी-एएफसी को मूलभूत सुविधा परियोजनाओं के लिए पट्टे पर देने हेतु अवसंचना उपकरण के आयात के लिए वित्त सहायता देने हेतु पांच वर्षों की न्यूनतम औसत परिपक्वता अवधि के साथ वर्तमान बाह्य वाणिज्यिक उधार दिशानिर्देशों के अनुसार सभी मान्यता प्राप्त उधार प्रदाताओं से स्वचालित मार्ग के तहत बाह्य वाणिज्यिक उधार का लाभ उठाने की अनुमति है।
- जिन मामलों में एनबीएफसी-एएफसी अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाज़ारों से विदेशी मुद्रा बाण्डों के रूप में बाह्य वाणिज्यिक उधार का लाभ उठाती हैं, ऐसे बाह्य वाणिज्यिक उधार एफएटीएफ दिशानिर्देशों के अनुपालन में वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (एफएटीएफ) सदस्य देश में मेज़बान देश के विनियामक द्वारा निर्धारित विनियमों के अधीन अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाज़ारों से लेने की अनुमति होगी।
- स्वचालित मार्ग के अंतर्गत ऐसा वाणिज्यिक उधार (बकाया बाह्य वाणिज्यिक उधार सहित) प्रति वित्तीय वर्ष अधिकतम 200 लिमियन अमरीकी डॉलर या समकक्ष के अधीन एनबीएफसी-एएफसी की स्वधिकृत निधियों के 75 प्रतिशत तक प्राप्त किया जा सकता है।
- एनबीएफसी-एएफसी द्वारा अपनी स्वधिकृत निधियों के 75 प्रतिशत से अधिक बाह्य वाणिज्यिक उधार पर रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदन मार्ग के तहत विचार किया जाएगा।

ऐसे बाह्य वाणिज्यिक उधार के मुद्रा जोखिम को पूरी तरह सुरक्षित करने की आवश्यकता है।

भुगतान प्रणाली

सीटीएस-2010 मानकों को अपनाना

बैंकों द्वारा सीटीएस-2010 मानक अपनाने में हुई की प्रगति की समीक्षा पर यह देखा गया है कि यद्यपि बैंकों ने सीटीएस-2010 फार्मेट में नए चेक जारी करना शुरू कर दिया है, फिर भी बड़ी संख्या में गैर-सीटीएस-2010 फार्मेट चेकों को इमेज आधारित समाशोधन में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि बचे हुए गैर-सीटीएस-2010 मानक चेकों के समाशोधन के लिए निम्नलिखित व्यवस्था की जाए:

(ए) 1 जनवरी 2014 से ऐसे बचे हुए गैर-सीटीएस-2010 लिखतों (पीडीसी और ईएमआई चेकों सहित) के समाशोधन के लिए तीन सीटीएस केंद्रों (मुंबई, चेन्नै और नई दिल्ली) में अलग से समाशोधन सत्र शुरू किया जाएगा। इस अलग से समाशोधन सत्र को प्रारंभ में 30 अप्रैल 2014 तक सप्ताह में तीन दिन (सोमवार, बुधवार और गुरुवार) परिचालित किया जाएगा। इसके बाद ऐसे अलग सत्रों की बारंबारता को 31 अक्टूबर 2014 तक सप्ताह में दो बार (सोमवार और शुक्रवार) तक कम कर दिया जाएगा और आगे 1 नवंबर 2014 से सप्ताह में एक बार (प्रत्येक सोमवार) कर दिया जाएगा। यदि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत गैर-सीटीएस-2010 लिखतों के समाशोधन के लिए चयनित दिन को अवकाश हो, तो ऐसे अवसरों पर प्रस्तुतीकरण सत्र पिछले कार्य दिवस पर किया जाएगा। इस संबंध में परिचालनात्मक अनुदेश सीटीएस केंद्रों द्वारा अलग से जारी किए जाएंगे।

(बी) गैर-सीटीएस-2010 मानक लिखतों के लिए विशेष सत्र के प्रारंभ होने पर अदाकर्ता बैंक 'समुचित क्षेत्र में उपलब्ध औचित्य कोड 37' के तहत नियमित सीटीएस समाशोधन में प्रस्तुत की गई गैर-सीटीएस-2010 लिखतों, यदि कोई हो, को वापस लौटा देंगे। ऐसी वापस लौटाई गई लिखतों को संग्रहकर्ता बैंक द्वारा गैर-सीटीएस-2010 लिखतों के लिए तत्काल अगले समाशोधन सत्र में पुनः प्रस्तुत करना होगा।

प्रत्येक माह की 26 तारीख को प्रकाशित, प्रत्येक माह के अंतिम दो कार्यदिवसों में मुंबई पत्रिका चैनल, सॉर्टिंग ऑफिस-में प्रेषित **Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14**

(सी) बैंक अपने ग्राहकों को कम बारंबार अंतरालों पर ऐसी लिखतों के समाशोधन के लिए प्रस्तावित व्यवस्था की दृष्टि से गैर-सीटीएस-2010 मानक लिखतों की प्राप्ति में संभाव्य विलंब के बारे में जानकारी दें और अधिसूचित करें। बैंक इस बदलाव को दर्शाने के लिए अपनी चेक संग्रह नीतियों (सीसीपी) में भी उचित रूप से संशोधन करें। बैंक नई व्यवस्था के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी ग्राहक शिकायत, यदि कोई हो, के निपटान के लिए उचित व्यवस्था भी शुरू करें।

(डी) बैंक चेक संसाधन केंद्रों के परिचालनरत होने तक ऐसे गैर-सीटीएम-2010 लिखतों को 'एक्सप्रेस चेक समाशोधन प्रणाली (ईसीसीएस) केंद्रों और एमआईसीआर (सीपीसी) में प्रस्तुत कर सकते हैं।

(ई) परिवर्तन अवधि (अर्थात् 31 दिसंबर 2013 तक) मौजूदा समाशोधन व्यवस्था जारी रहेगी और सभी चेक जारी करने वाले बैंक गैर-सीटीएस-2010 मानक चेकों को संचलन से वापस लेने का प्रयास करें।

सभी समाशोधन सत्रों में तीनों सीटीएस केंद्रों में संसाधित लिखतों की निगरानी बैंकों द्वारा प्रस्तुत की गई गैर-सीटीएस-2010 लिखतों के संबंध में की जाएगी। रिज़र्व बैंक उन अदाकर्ता बैंकों (और जहां आवश्यक हों, प्रस्तुतकर्ता बैंकों) पर दण्ड लगाने पर विचार कर सकता है जो बैंक भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत जारी इन निर्देशों का उल्लंघन करते हैं।

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी

अतिदेय सार्वजनिक जमाराशियों पर ब्याज का भुगतान

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को प्रवर्तन प्राधिकारी के आदेश पर कभी कभी ग्राहकों की सावधि जमाराशियों को अवरुद्ध (फ्रीज) करना पड़ता है अथवा प्रवर्तन प्राधिकरियों द्वारा जमाराशि के रूप में प्राप्तियों को ज़ब्त कर लिया जाता है। ऐसी जमाराशियों पर ब्याज के भुगतान के संबंध में दुविधा उत्पन्न होती है जिसे या तो सरकारी प्राधिकार द्वारा ज़ब्त कर लिया गया है तथा/अथवा संबंधित सरकारी प्राधिकार से आगामी सूचना प्राप्त होने तक अवरोधित (फ्रोज़ेन) किया गया है, ऐसी स्थिति में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया है कि वे निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएं:

i. ग्राहक से सावधि जमाराशि की परिपक्वता पर एक अनुरोध पत्र प्राप्त किया जाए। नवीकरण हेतु ग्राहक से अनुरोध पत्र प्राप्त करते समय, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां उन्हें सूचित करें कि वे इस बात का उल्लेख करें कि जमाराशि का नवीकरण कितनी अवधि के लिए किया जाना है। यदि ग्राहक नवीकरण की अवधि के विकल्प को नहीं चुनता है तब गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां उसे मूल अवधि के बराबर अवधि के लिए नवीन कर सकती है।

ii. इसके लिए नई रसीद जारी करने की आवश्यकता नहीं है। किंतु जमा बही में नवीकरण के संबंध में उचित नोटिंग की जानी चाहिए।

iii. नवीकरण की सूचना पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कूरियर के माध्यम से संबंधित सरकारी विभाग को देते हुए जमाकर्ता को भी सूचित किया जाए। जमाकर्ता को दी जाने वाली सूचना में नवीनीकृत जमाराशि के ब्याज दर का भी उल्लेख होना चाहिए।

iv. यदि अतिदेय अवधि अनुरोध पत्र की प्राप्ति की तारीख से 14 दिन से अधिक नहीं है तो नवीकरण परिपक्वता की तारीख से किया जा सकता है। यदि यह 14 दिनों से अधिक है, तो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को उनके द्वारा अपनाई गई नीति के अनुसार अतिदेय अवधि के लिए ब्याज का भुगतान करना होगा तथा इसे ब्याज रहित उप- खाता में रखना होगा और मूल सावधि जमा की निर्मुक्ति पर अदा किया जाए।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को संबंधित सरकारी एजेंसियों से अनापत्ति प्राप्त होने के बाद ही मूलधन तथा उसपर अर्जित ब्याज का अंतिम भुगतान करना चाहिए।

ग्राहक सेवा

मूल बचत बैंक जमा खाता

बैंकों को सूचित किया गया है कि वे 'मूल बचत बैंक जमा खाता' का प्रस्ताव करें जो उनके सभी ग्राहकों को निम्नलिखित न्यूनतम सामान्य सुविधाएं प्रदान करेगी:

- 'मूल बचत बैंक जमा खाता' को सभी के लिए उपलब्ध एक सामान्य बैंकिंग सेवा समझा जाए।
- इस खाते के लिए कोई न्यूनतम शेष राशि अपेक्षित नहीं होगी।
- खाते में उपलब्ध सेवाओं में बैंक शाखा के साथ-साथ एटीएम पर नकदी के जमा और आहरण; इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों अथवा केंद्र/राज्य सरकार एजेंसियों और विभागों द्वारा आहरित चेकों के जमा/संग्रह के द्वारा राशि की प्राप्ति/जमा शामिल होंगी।
- जबकि किसी महीने में की गई जमा की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी, खाताधारकों को एटीएम आहरण सहित किसी महीने में अधिकतम चार आहरणों की अनुमति दी जाएगी।
- एटीएम कार्ड अथवा एटीएम सह डेबिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
- उपर्युक्त सुविधाएं बिना किसी प्रभारों के उपलब्ध कराई जाएं। इसके अतिरिक्त 'मूल बचत बैंक जमा खाता' के परिचालन नहीं होने/परिचालन सक्रिय किए जाने के लिए कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा।
- बैंक समुचित तथा पारदर्शी आधार पर तथा गैर-विवेकशील तरीके से लागू निर्धारित मूल न्यूनतम सेवाओं से अधिक अतिरिक्त मूल्य योजित सेवाओं के लिए मूल्यांकन संरचना सहित अन्य अपेक्षाएं विकसित करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
- बैंक खाते खोलने के लिए 'मूल बचत बैंक जमा खाता' अपने ग्राहक को जाने (केवाईसी)/धन आशोधन (एएमएल) पर रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अधीन होगा। यदि कोई ऐसा खाता सरलीकृत केवाईसी मानदण्डों/धन आशोधन मानकों/आतंकवाद को वित्तीय सहायता से लड़ाई (सीएफटी)/02 जुलाई 2012 के पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व पर रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र में ऐसे खातों के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन खोला जाता है तो उसे 'लघु खाते' के रूप में अतिरिक्त खाता माना जाएगा।
- 'मूल बचत बैंक जमा खाता' के खाताधारक उस बैंक में कोई दूसरा बचत बैंक जमा खाता खोलने के लिए पात्र नहीं होंगे। यदि किसी ग्राहक के पास विद्यमान बचत बैंक खाता उस बैंक में है, तो उससे यह अपेक्षित होगा कि वह 'मूल बचत बैंक जमा खाता' खोले जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर उसे बंद कर दे।
- विद्यमान मूल बैंकिंग 'नो फ्रिल' खातों को 'मूल बचत बैंक जमा खाता' में बदल दिया जाएगा।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग**, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित।

ग्राहक नवीकरण तथा पते में परिवर्तन के लिए मुख्य महाप्रबंधक, संचार विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 12वीं मंज़िल, फोर्ट, मुंबई 400 001 को लिखें। कृपया कोई मांग ड्राफ्ट/चेक न भेजें। मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.mcir.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध है।